

प्रेम्बल,

श्री प्रकाश गुप्त,
संस्था सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
बिना ब्लॉक-2,
सहाय केंद्र, प्रीति विहार,
नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

तखतक: दिनांक: 03 नवम्बर, 2004

विषय:- **केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद [द्वितीय] इन्दिरापुरम, माध्यावाद
के सी0वी0एस्त0ई0 नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने विषय**

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये सूचित है कि उक्त संदर्भित विद्यालय जो **सी0वी0एस्त0ई0** नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अनापत्ति नहीं है :-

- 1.11 विद्यालय की प्रंजीकृत तोतापटी का सम्य-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ?
- 1.21 विद्यालय की प्रबंध सभित्त में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 1.31 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के भेदावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उ0प्र0मा0 शिक्षा परिषद/केसिक शिक्षा परिषद द्वारा संवाहित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 1.41 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा केसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इकायमिशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0मा0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें ।

- 151 संस्था के शिक्षक एवं शिक्षण कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकों में रखा जायेगा ।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की वृक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापूर्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भारतीय,

श्री प्रकाश मुखर्जी
संयुक्त सचिव ।

पू०संख्या एवं दिनांक तैय

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, **भरत ।**
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, **वाकियाबाद ।**
- 4- निरीक्षक, जंगल भारतीय विद्यालय 3090, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, **श्री प्रकाश मुखर्जी संयुक्त सचिव [द्वितीय] इन्डियानगर, वाकियाबाद**
- 6- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

श्री प्रकाश मुखर्जी
संयुक्त सचिव ।

e